17. म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत् अविभाजित म. प्र. राज्य की संचित निधि से किये गये विनियोगों से सृजित आरक्षित निधियों के अतिशेष का उस सीमा तक, जहां तक अतिशेषों का विनिधान सरकारी लेखे से बाहर नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती राज्यों के लोक लेखा में वैसे ही आरक्षित निधियों में नहीं किया जायेगा । महालेखाकार द्वारा म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 (1) के तीसरे परंतुक के अनुसार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ऐसी आरक्षित निधियां जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है । इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति निम्नानुसार है :-

कमांक	**विवरण**	**राशि**
1	अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.69
2	राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	4.31
3	कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.05
4	अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.01
5	रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	2.02
	योग	**7.08**

18. बजट अनुमान 2003–04 में मुख्यतः राज्य आयोजना में 39.32 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय में लगभग 56.30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । आयोजनेत्तर व्यय में धान उपार्जन से होने वाली संभावित क्षति पर व्यय को छोड़कर नियंत्रित सामान्य वृद्धि की गयी है, यह वृद्धि वेतन पर लगभग 17.74 प्रतिशत, मजदूरी पर 7.56 प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान में लगभग 10.9 प्रतिशत की है । वेतन में अधिक प्रावधान विभाजन के फलस्वरूप आने वाले कर्मचारियों एवं नई संरचना में स्वीकृत होने वाले पदों को ध्यान में रख कर किया गया है । सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में सिंचाई में लगभग 16.7 प्रतिशत तथा लोक निर्माण में लगभग 41.6 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है । सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य में लगभग 7 प्रतिशत तथा स्कूल शिक्षा में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है ।

19. आयोजनागत प्रावधानों की विस्तृत जानकारी के लिए आवश्यक परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं ।

रायपुर
दिनांक 16 फरवरी, 2003

(ए.के. विजयवर्गीय)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

परिशिष्ट – क

अर्थोपाय अनुमान 2003–2004

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2001–2002 लेखा	2002–2003 बजट अनुमान	2002–2003 पुनरीक्षित अनुमान	2003–2004 बजट अनुमान
प्रारंभिक शेष	**-192.87**	**-297.47**	**-111.55**	**-199.69**
वर्ष के लेन देन				
राजस्व आधिक्य / कमी	**-538.42**	**-495.54**	**-505.32**	**-341.98**
पूंजी व्यय	**476.26**	**919.75**	**951.38**	**1487.01**
लोक ऋण (शुद्ध)	**810.58**	**973.54**	**1246.52**	**1544.19**
राज्य शासन द्वारा ऋण (शुद्ध)	**-71.78**	**-35.26**	**-70.22**	**-93.95**
आकस्मिकता निधि मे विनियोजन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	**-0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
लोक लेखा (शुद्ध)				
भविष्य निधि, आदि	**57.25**	**117.86**	**50.27**	**61.55**
आरक्षित निधि	**93.63**	**0.01**	**35.68**	**0.01**
जमा तथा अग्रिम	**178.92**	**78.96**	**78.96**	**155.13**
उच्चन्त तथा विविध	**42.81**	**11.98**	**11.98**	**34.22**
प्रेषण	**-15.4**	**15.37**	**15.37**	**14.98**
	357.21	**224.18**	**192.26**	**265.89**
वर्ष के शुद्ध लेन देन	**81.32**	**-252.83**	**-88.14**	**-112.85**
अन्तिम शेष	**-111.55**	**-550.30**	**-199.69**	**-312.54**